



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 श्रावण 1936 (श0)
(सं0 पटना 667) पटना, बुधवार, 13 अगस्त 2014

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

23 जुलाई 2014

सं0 वि०स०वि०-10/2014-2197/वि०स०।—“बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2014”, जो बिहार विधान-सभा में दिनांक 23 जुलाई, 2014 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,

हरेराम मुखिया,

प्रभारी सचिव, बिहार विधान-सभा।

**बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006) का
संशोधन करने के लिए विधेयक**

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ** 1- (1) यह अधिनियम बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
2. **बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा-127 का संशोधन** 1- उक्त अधिनियम, 2006 की धारा-127 के द्वितीय परन्तुक में प्रयुक्त अंक "2011" एवं "2001" क्रमशः अंक "2021" एवं "2011" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

उद्देश्य एवं हेतु

पुराने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों का प्रकाशन कर वर्ष, 2016 का पंचायत आम निर्वाचन कराये जाने से नए निर्वाचन क्षेत्रों का गठन करने की आवश्यकता नहीं होगी एवं पुराने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर ही पंचायतों के प्रतिनिधि चुने जायेंगे। इसके फलस्वरूप सरकार को अतिरिक्त व्यय का वहन नहीं करना होगा। इस हेतु धारा-127 में यह संशोधन किया जाना आवश्यक है।

अतएव बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-127 में संशोधन का प्रस्ताव है।

2. यही इस विधेयक का उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ट है।

(डॉ० विनोद प्रसाद यादव)

भार साधक सदस्य ।

पटना

दिनांक 23 जुलाई, 2014

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान-सभा ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 667-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>